

प्ररूप सं. 16क

[नियम 31(1)(ख) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र

| | | |
|---|---|---|
| प्रमाण पत्र सं. | अंतिम बार अध्ययन की गई | |
| कटौतीकर्ता का नाम और पता | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता | |
| कटौतीकर्ता का 1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] | कटौतीकर्ता का टैन | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का 1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] |

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------|----------|
| सी.आई.टी. (टीडीएस) | निर्धारण वर्ष | अवधि | |
| शहर पिन कोड | | से | तक |

| संक्षेप से संदाय | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| क्रम सं. | संदत्त/जमा की गई रकम | संदाय की प्रकृति | कटौतीकर्ता द्वारा दिया गया कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की संदर्भ सं. | संदाय/जमा की तारीख (दिदि/मम/वववव) |
| कुल (सं.) | | | | |
| कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत संक्षेप में स्रोत पर कटौती किया गया कर | | | | |
| तिमाही | धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत काटे गए कर की रकम | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम | |
| कुल (सं.) | | | | |

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान बार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए) | | | | | |
| क्रम सं. | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.) | बही पहचान संख्याक (बीआइएन) | | | |
| | | प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या | बही समायोजन मिनो विवरण में डीडीओ अनुक्रम संख्या | अंतरण वाउचर की तारीख दिदि/मम/ववव | प्ररूप 24छ के साथ मिलान की प्रास्थिति |
| कुल (रु.) | | | | | |
| 2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान बार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए) | | | | | |
| क्रम सं. | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.) | चालान पहचान संख्याक (बीआइएन) | | | |
| | | बैंक शाखा का बीएसआर कोड | वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव) | चालान क्रम संख्या | ओएलटीएस के साथ मिलान की प्रास्थिति |
| कुल (रु.) | | | | | |

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि रुपए केवल (शब्दों में) की राशि की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान :

तारीख :

पदनाम :

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता, मद 1 में जानकारी दे यदि कर को आयकर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद 2 में जानकारी दे।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, मद 2 में पूर्ण जानकारी दें।
- कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के विषय में है।
- मद 1 व मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत कर जमा करने के लिए टीडीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर (यदि लागू हो) की कुल रकम दे।